सतर्कता | **30 अप्रैल तक सूबे के सभी चिह्नित जगहों पर जेब्रा क्रॉसिंग निर्माण का दिया गया निर्देश, विकास आयुक्त ने मानक अनुरूप बनाने को कहा**

राज्य में 14 हजार नए स्थानों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनेगी

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए पथ निर्माण और अन्य विभागों ने जेब्रा क्रॉसिंग निर्माण के लिए लगभग 14 हजार नए स्थल चिन्हित किये हैं। इन चिन्हित स्थलों पर 30 अप्रैल तक जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण एवं पेंटिंग का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। इस संबंध में विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने संबंधित विभागों एवं प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि निर्धारित समय-सीमा के अंदर सभी चयनित स्थलों पर मानक अनुरूप जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। राज्य में पूर्व से पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य और एनएचएआई की ओर से लगभग 9500 जेब्रा क्रॉसिंग बनाया गया है। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद ने जेब्रा क्रॉसिंग निर्माण के लिए विभिन्न विभागों से चयनित स्थलों की सूची मांगी थी। इसके बाद पथ निर्माण विभाग ने 342 नए स्थलों की सूची सौंपी। जबकि ग्रामीण कार्य विभाग ने 12 हजार 858 और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) ने 88 स्थलों पर जेब्रा क्रॉसिंग के निर्माण का प्रस्ताव परिवहन विभाग को दिया। सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में राज्यभर में जेब्रा क्रॉसिंग निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। बताया गया कि राज्य में चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थलों, विद्यालयों, अस्पतालों, बाजार क्षेत्रों तथा अधिक यातायात वाले प्रमुख चौराहों के निकट जेब्रा क्रॉसिंग के निर्माण से पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सड़क पर सबसे पहला अधिकार पैदल यात्रियों का है। सुरक्षित, व्यवस्थित यातायात राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। विभाग का मानना है कि स्पष्ट, चौड़ी एवं मानक के अनुरूप पेंट की गई जेब्रा क्रॉसिंग सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रभावी माध्यम है। वहीं, सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में जेब्रा क्रॉसिंग निर्माण की नियमित समीक्षा करें तथा कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

9500 जगहों पर बने हैं जेब्रा क्रॉसिंग राज्यभर में अभी

परिवहन विभाग की अपील

जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन रोके, पैदल यात्रियों को प्राथमिकता दें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। सामूहिक सहभागिता से ही सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सकती है।

मरने वालों में एक तिहाई पैदल चलने वाले

फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग की कमी के कारण राज्य में पैदल चलने वाले लोग सबसे अधिक हादसे के शिकार हो रहे हैं। हर साल हो रहे सड़क हादसों में मरने वालों में एक तिहाई लोग पैदल चलने वाले होते हैं। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विगत वर्ष 4143 पैदल चलने वाले लोग हादसे के शिकार हुए। इसमें से 3462 की मौत हो गई। मरने वालों में 2503 पुरुष तो 959 महिलाएं थीं। हादसों में 1524 पैदल चलने वाले गंभीर रूप से घायल हुए।